

वर्तमान में प्रदेश में बी०पी०एल० कार्ड योजना प्रचलित नहीं है । प्रदेश में मार्च, 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू है, जिसके अंतर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड बनाए गए हैं। जनपद उन्नाव में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत दिनांक 01-03-2016 से दिनांक-20 जनवरी, 2022 तक कुल 5,48,128 राशन कार्डधारकों के विवरण को ऑनलाइन करते हुए राशन कार्ड जारी किये गये हैं ।

उक्त समस्त लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत प्रतिमाह निर्धारित खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

समस्त कार्डधारकों का विवरण खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट <http://fcs.up.gov.in> पर उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।